SHAKTI®
PUMPING LIFE

Date:-01/08/2023

To, The Secretary, Listing Department National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, BKC, Bandra (E) Mumbai-MH 400051.	To, The Secretary, Corporate Relationship Department BSE Limited P. J. Towers, Dalal Street Mumbai- MH 400001.

REF :-(ISIN- INE908D01010) SCRIP CODE BSE-531431, NSE Symbol -SHAKTIPUMP

Sub:- Newspaper Advertisement of the Notice to Shareholders regarding transfer of Equity Shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of newspaper advertisement published in **(Business Standard Hindi and Free Press English) on Tuesday, 01st August, 2023**, informing the shareholders about proposed transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account in respect of those shares on which dividend have remained unclaimed for seven consecutive years or more as per the provisions of the Companies Act, 2013 and rules informed thereunder.

The Company has also uploaded the details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF on its website www.shaktipumps.com.

You are requested to please take on record our above said information for your reference.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Shakti Pumps (India) Limited

RAVI PATIDAR

Digitally signed by RAVI PATIDAR
DN: c=IN, postalCode=453331, st=MADHYA PRADESH, o=Personal, serialNumber=31dde50601e6024b2732ca5972ed69c26147945af389098003ac14a4c85644de, 2.5.4.20=20656707e324f03def34723e3a223419b81d93a19ea445e5ebde95faffb68e21, email=PATIDAR.RAVI007@GMAIL.COM, cn=RAVI PATIDAR, l=INDORE, title=8835, pseudonym=88352021081416555884 3
Date: 2023.08.01 13:09:30 +05'30'

Ravi Patidar
Company Secretary

SHAKTI PUMPS (INDIA) LIMITED

CIN: L29120MP1995PLC009327
Regd. Office:-Plot No. 401, 402 & 413, Industrial Area, Sector - 3, Pithampur - Dist. Dhar 454774 (M.P.)
Tel.: +91 7292 410500, Fax: +91 7292 410645 E-mail: info@shaktipumps.com, sales@shaktipumps.com, Web:-www.shaktipumps.com

खबरों में रहे स्टॉक

बजाज हिंदुस्तान शुगर

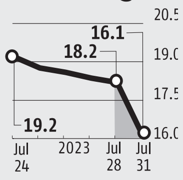

वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में घाटा बढ़कर 74 करोड़ रुपये हो गया

₹ 18.20 पिछला बंद भाव
₹ 16.10 आज का बंद भाव
-11.40 % ▼

लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज

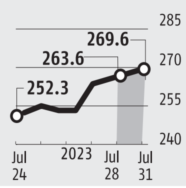

गुजरात के दहेज में विनिर्माण इकाई के लिए 710 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय मंजूर

₹ 263.60 पिछला बंद भाव
₹ 269.60 आज का बंद भाव
2.3 % ▲

परसिस्टेंट सिस्टम्स

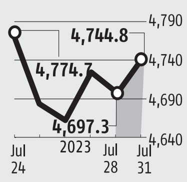

गूगल क्लाउड के साथ मिलकर जेनरेटिव एआई सॉल्यूशंस शुरू किया

₹ 4,697.30 पिछला बंद भाव
₹ 4,744.80 आज का बंद भाव
1.0 % ▲

यूपीएल

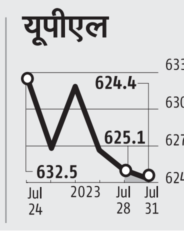

वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 81 फीसदी घटकर 166 करोड़ रुपये रह गया

₹ 625.10 पिछला बंद भाव
₹ 624.40 आज का बंद भाव
-0.10 % ▼

वेलस्पन इंडिया

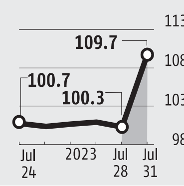

वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 7 गुना बढ़कर 162 करोड़ रुपये हो गया

₹ 100.30 पिछला बंद भाव
₹ 109.70 आज का बंद भाव
9.40 % ▲

संक्षेप में

भुगतान उपकरणों के लिए पीएलआई योजना

पेटीएम के नाम से संचालित फिनटेक कंपनी वन97 कम्यूनिकेशंस चाहती है कि सरकार स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भुगतान उपकरणों को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत लाए। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पेटीएम के संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी विजय शेखर शर्मा ने पेमेंट साउंडबॉक्स के दो नए मॉडल लॉन्च करने की घोषणा करते हुए कहा कि पेटीएम साउंडबॉक्स पूरी तरह से भारत में बने हैं। हमने साउंडबॉक्स का स्वदेशीकरण किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम एक नई चीज के दबाव में हैं। जब साउंडबॉक्स विदेश से आते हैं, तो उन पर शुल्क नहीं लगाया जाता है, लेकिन हमें शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार से मेरा अनुरोध है कि भुगतान उपकरणों के लिए भी पीएलआई योजना लाई जाए। *भाषा*

टॉरंट ग्रुप का एमकैप एक लाख करोड़ रुपये के पार

भारत के विविध व्यवसाय समूह टॉरंट ग्रुप का बाजार पूंजीकरण एक लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। इसमें बिजली इकाइयों और फार्मा कंपनी के प्रदर्शन ने अहम भूमिका निभाई है। टॉरंट समूह की दो सूचीबद्ध कंपनियों टॉरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और टॉरंट पावर लिमिटेड का संयुक्त बाजार पूंजीकरण सोमवार को कारोबार के दौरान एक लाख करोड़ रुपये के ऊपर पहुंच गया। *भाषा*

शानदार प्रतिफल के साथ

बंसल परिवार फ्लिपकार्ट से बाहर

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 31 जुलाई

दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलर वॉलमार्ट ने ई-कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट में टाइगर ग्लोबल की हिस्सेदारी खरीदने के लिए 1.4 अरब डॉलर का भुगतान किया है। 2021 में जापान के सॉफ्टबैंक, वॉलमार्ट और अन्य निवेशकों को शेयर बेचे जाने के बाद इस सौदे से फ्लिपकार्ट का मूल्य 38 अरब डॉलर से घटकर 35 अरब डॉलर रह गया है। टाइगर ग्लोबल के साथ साथ फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक बिन्नी बंसल और एक्सेल अपनी हिस्सेदारी वॉलमार्ट को बेचकर इस ई-कॉमर्स कंपनी से अब पूरी तरह बाहर निकल गए हैं।

सूत्रों का कहना है कि वॉलमार्ट का यह निवेश फ्लिपकार्ट को आईपीओ लाने की राह मजबूत बनाने की रणनीति का भी हिस्सा है।

फ्लिपकार्ट में टाइगर ग्लोबल की हिस्सेदारी खरीदने के लिए वॉलमार्ट द्वारा 1.4 अरब डॉलर चुकाने की खबर सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित हुई। इस खबर में टाइगर ग्लोबल द्वारा इस संबंध में निवेशकों को भेजे गए पत्र का जिक्र किया गया था।

डेटा विश्लेषण फर्म ट्रैक्सकन के अनुसार, एक्सेल-इंडिया और अमेरिका, दोनों की शुरू में (2008 में) फ्लिपकार्ट में संयुक्त रूप से 20 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी थी। बाद में उन्होंने 2018 में फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट द्वारा बड़ी हिस्सेदारी खरीदे जाने के बाद अपनी हिस्सेदारी घटाकर करीब 6 प्रतिशत की। 2018 में, जब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में 16 अरब डॉलर का निवेश किया था, तो बेंगलूरु की इस फर्म का मूल्यांकन 21 अरब डॉलर से कम था।

हालांकि एक्सेल ने 1.1 प्रतिशत की छोटी हिस्सेदारी बरकरार रखी थी, लेकिन 2023 में अब वह पूरी तरह बाहर हो गई है। सूत्रों के अनुसार, इससे उसे अपने कुल निवेश पर करीब 1.5 अरब-2 अरब डॉलर या 25-30 गुना प्रतिफल हासिल हुआ है। इसी तरह, वॉलमार्ट द्वारा अधिगहण किए जाने के बाद टाइगर ग्लोबल की भी फ्लिपकार्ट में अल्पांश हिस्सेदारी थी, लेकिन अब वह करीब 3.5 अरब डॉलर के लाभ के साथ पूरी तरह इस कंपनी से बाहर हो गई है।

भले ही फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक सचिन बंसल ने 2018 में अपनी पूरी हिस्सेदारी वॉलमार्ट को बेच दी थी, लेकिन अन्य सह-संस्थापक बिन्नी बंसल ने वॉलमार्ट द्वारा अधिग्रहण किए जाने से पहले तक अपनी थोड़ी हिस्सेदारी बरकरार रखी थी।

बिन्नी बंसल अब अपनी शेष हिस्सेदारी (करीब 1-1.8 प्रतिशत) भी वॉलमार्ट को बेच चुके हैं। हालांकि बिन्नी बंसल कंपनी के बोर्ड में बने रहेंगे। वह फोनपे में भी निवेशक हैं।

इस घटनाक्रम से अवगत एक व्यक्ति ने कहा, 'इन सभी निवेशकों को अपनी हिस्सेदारी बेचने के बाद काफी मोटा मुनाफा हुआ है।'

वॉलमार्ट इंक. के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्याधिकारी डग मैकमिलन ने बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ एक साक्षात्कार में कहा था कि कंपनी जरूरत पड़ने पर निवेश करेगी।

वॉलमार्ट का नया दांव

- वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में टाइगर ग्लोबल की हिस्सेदारी 1.4 अरब डॉलर में खरीदी है
- सह-संस्थापक बिन्नी बंसल व एक्सेल समूह अपनी हिस्सेदारी वॉलमार्ट को बेचकर ई कॉमर्स कंपनी से बाहर हो गए
- टाइगर ग्लोबल अब करीब 3.5 अरब डॉलर के लाभ के साथ फ्लिपकार्ट से पूरी तरह बाहर हो गई है

फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु संग किया करार

शाइन जैकब
चेन्नई, 31 जुलाई

तमिलनाडु ने सोमवार को ताइवान की फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया। कंपनी ने 1,600 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश से कांचीपुरम जिले में मोबाइल कम्पोनेंट निर्माण इकाई लगाने के लिए यह समझौता किया है। इस संयंत्र से 6,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। फॉक्सकॉन इस साल भारत में ईवी निर्माण इकाई लगाने की अपनी योजना के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट पर भी तमिलनाडु सरकार के साथ बातचीत कर रही है।

तमिलनाडु के साथ समझौते के बाद, फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू ने चेन्नई में मीडिया को बताया कि संयंत्र के स्थान के बारे में निर्णय लिया जाना अभी बाकी है और भारत में सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण क्षमता विस्तार की योजनाओं पर कार्य चल रहा है।

यह हॉन हई टेक्नोलॉजी ग्रुप द्वारा पहला बड़ा निवेश है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सोमवार को लियू के साथ बैठक के बाद एक ट्वीट में कहा, 'तमिलनाडु में विभिन्न निवेश अवसरों पर चर्चा हुई। हमने ईवी और इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट में आगामी निवेश पर भी बातचीत की है। हमारी अन्य प्रमुख इच्छा तमिलनाडु को एशिया का नया उभरता इलेक्ट्रॉनिक निर्माण केंद्र बनाना है।'

समूह की सहायक इकाई फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल इंटरनेट (एफआईआई) के मुख्य कार्याधिकारी ब्रैंड चेंग ने इस महीने के शुरू में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और राज्य के उद्योग, निवेश संवर्द्धन एवं वाणिज्य मंत्री टी आर बी राजा के साथ समझौते के बारे में चर्चा की थी। तब एफआईआई ने कर्नाटक के तुमकुरु में 8,800 करोड़ रुपये के निवेश से एक संयंत्र लगाने का भी प्रस्ताव रखा था।

चेन्नई संयंत्र के बारे में पूछे जाने पर चेयरमैन ने विस्तार योजनाओं में राज्य सरकार के समर्थन की सराहना की। लियू ने आईआईटी रिसर्च पार्क में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, 'हमने उत्पादन में कई सफलताएं हासिल की हैं। हमने 6-7 इमारतों का निर्माण किया है। मैं यह देखकर उत्साहित हूं कि सब कुछ ठीक चल रहा है और सरकार से भरपूर मदद मिल रही है। निश्चित तौर पर हम भविष्य में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। मौजूदा समय में हमारे साथ 40,000 कर्मी जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ने के लिहाज से यह बेहद महत्त्वपूर्ण आधार है।'

गो फर्स्ट 15.5 लाख यात्रियों को लौटाएगी 597 करोड़ रु.

भाविनी मिश्रा
नई दिल्ली, 31 जुलाई

राष्ट्रीय कंपनी विधिक पंचाट (एनसीएलटी) ने सोमवार को विमानन कंपनी गो फर्स्ट के बकायेदारों की समिति (सीओसी) से पूछा है कि क्या उन्होंने 3 मई को दिवालिया हो चुकी विमानन कंपनी के बंद होने के बाद से यात्रियों को पहले से कटाई गई टिकटों की रकम वापस करने की मंजूरी दी है।

समाधान पेशेवरों (आरपी) के अनुसार, गो फर्स्ट को 15.5 लाख यात्रियों को 597.54 करोड़ रुपये वापस करने हैं। इनमें 7 जून तक की पहले से कटाई गई टिकटें भी शामिल हैं। 15,25,862 यात्रियों ने ट्रैवल एजेंट के जरिये 582.77 करोड़ रुपये की टिकटें कटवाई थीं और 23,711 यात्रियों ने 14.77 करोड़ रुपये की टिकटें कंपनी की वेबसाइट से काटी थीं। सीओसी ऋणदाताओं की एक ऐसी समिति है जो दिवाला प्रक्रिया में सभी हितधारकों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। एनसीएलटी ने इस मामले में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) से भी उनकी प्रतिक्रिया मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। आरपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी श्रीनिवासन ने कहा कि यात्रियों की रकम वापसी की प्रक्रिया गो फर्स्ट की पुनरुद्धार योजना का हिस्सा है और सीओसी ने योजना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

स्पाइसजेट को राहत नहीं

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सन ग्रुप के कल एयरवेज और इसके संस्थापक एवं विमानन कंपनी के पूर्व प्रवर्तक कलानिधि मारन के साथ कानून लड़ाई में फंसी विमानन कंपनी स्पाइसजेट की उस याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें मध्यस्थता फैसले को चुनौती दी गई थी। मध्यस्थता अदालत ने साल 2018 में अपने एक फैसले के तहत मारन को ब्याज सहित 579 करोड़ रुपये लौटाने के लिए स्पाइसजेट और उसके प्रवर्तक अजय सिंह को निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय का यह फैसला विमानन कंपनी के लिए झटका माना जा रहा है।

मध्यस्थता अदालत ने निर्देश दिया था कि पूर्व प्रवर्तक कल एयरवेज और मारन को वारंट के एवज 308 करोड़ रुपये और भुनाने योग्य तरजीही शेयर के एवज में 270 करोड़ रुपये लौटाए जाएंगे। विमानन कंपनी ने उस फैसले को रद्द करने की मांग की थी जिसमें उन्हें मारन को 270 करोड़ रुपये लौटाने को कहा गया था। साथ ही कंपनी ने ब्याज पर भी छूट मांगी थी। *बीएस*

जेनेरिक दवाओं पर बड़ी कंपनियों की नजर

सोहिनी दास
मुंबई, 31 जुलाई

ट्रेड जेनेरिक्स दवाएं (वे दवाएं, जो वितरकों के जरिये प्रत्यक्ष रूप से बेची जा रही हैं) घरेलू फार्मा कंपनियों के लिए प्रमुख सेगमेंट बन रही हैं, क्योंकि संपूर्ण बाजार में बिक्री वृद्धि धीमी बनी हुई है। सिप्ला और एल्केम जैसी बड़ी कंपनियों की इस सेगमेंट में अच्छी मौजूदगी है, लेकिन हाल में टॉरंट फार्मा और डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज (डीआरएल) जैसी कंपनियों ने भी इस बाजार में प्रवेश किया है। भारतीय दवा बाजार में बिक्री वृद्धि वित्त वर्ष 2016 के 5.6 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 0.1 प्रतिशत रह गई। केंद्र सरकार भी अपने ट्रेड जेनेरिक्स पर ध्यान दे रही है, क्योंकि उसने सस्ती दवाओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है।

जन औषधि स्टोरों ने पिछले पांच साल में 54 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की है। जन औषधि योजना को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के नाम से भी जाना जाता है। जन औषधि फार्मेसी स्टोरों के जरिये जेनेरिक दवाएं बड़ी छूट पर मुहैया कराई जाती हैं। ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं की बिक्री कंपनी द्वारा अपने कर्मियों और डॉक्टर के पर्चे के जरिये की जाती है। एक ताजा रिपोर्ट में नोमुरा के विश्लेषकों ने कहा है, 'पीएमबीजेपी के खुलासे से संकेत मिलता है कि ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं के मुकाबले छूट करीब 85 प्रतिशत होती है।'

SBI

स्ट्रेस्ड ॲसेट रिझोल्यूशन ग्रुप, कॉरपोरेट सेन्टर, इक्कीसवीं मंजिल, मेकर टावर्स 'ई' विंग, कफ़ परेड, मुंबई – 400005

ई–नीलामी के माध्यम से पात्र खरीदारों (अनुमत एआरसी/एनबीएफसी/बैंकों/वित्तीय संस्थाओं) को स्ट्रेस्ड लोन एक्सपोजर का हस्तांतरण

भारतीय स्टेट बैंक, ₹ 40.09 करोड़ (केवल ₹ चालीस करोड़ नौ लाख) कुल मूलधन के साथ 1 (एक) खाते के स्ट्रैस्ड लोन एक्सपोजर के हस्तांतरण के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक/नियामकों द्वारा जारी लागू नियमों के अधीन, ई–नीलामी के माध्यम से 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है जो है', 'जो कुछ भी है' और 'दायित्वरहित' आधार पर पात्र प्रतिभागियों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है.

सभी इच्छुक पात्र प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे 'रुचि की अभिव्यक्ति' के माध्यम से ई–नीलामी में भाग लेने के लिए अपनी इच्छा प्रस्तुत करें और गैर–प्रकटीकरण समझौते के निष्पादन के बाद, यदि पहले से ही निष्पादित नहीं किया गया है (वेब नोटिस में उल्लिखित समयसीमा के अनुसार) ई–मेल आईडी dgm.sr@sbi.co.in पर संपर्क करें. कृपया बैंक की वेब साइट https://bank.sbi पर जाएं और अधिक विवरण "SBI in the news>Auction Notices>ARC & DRT" में लिंक पर क्लिक करें (वेब नोटिस).

कृपया ध्यान दें कि बैंक अपने पास https://bank.sbi ("SBI in the news>Auction Notices>ARC & DRT" में लिंक पर क्लिक करें) पर शुद्धिपत्र अपलोड करके बिना कोई कारण बताए प्रस्तावित ई–नीलामी को आगे जारी न रखने और ई–नीलामी को परिवर्तित करने, किसी भी नियम और शर्तों आदि को किसी भी स्तर पर संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.

स्थान: मुंबई
तिथि: 01.08.2023
द्वारा जारी
उप– महाप्रबंधक (एआरसी)

SHAKTI® PUMPING LIFE

शक्ति पम्पस् (इंडिया) लिमिटेड

सीआईएन : L29120MP1995PLC009327
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 401, 402 एवं 413, सेक्टर-III, इण्डस्ट्रीयल एरिया, पीथमपुर जिला धार (म.प्र.)-454 774, फोन: 07292-410500, फैक्स: 07292-410645
ई-मेल : cs@shaktipumpsindia.com, वेबसाईट : www.shaktipumps.com

कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए सूचना
विषयः निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) खाते में कम्पनी के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

यह सूचना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124 के तहत एवं कारपोरेट मामलों द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और रिफण्ड) नियम, 2016 ("नियम") के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित हुई है। अन्य मामलों के बीच, इन नियमों में, सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात साल या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया ऐसे सभी शेयरों का हस्तांतरण निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124(6) के तहत भारत सरकार द्वारा गठित एक कोष में किया जाना अनिवार्य है।

कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को कंपनी के साथ पंजीकृत उनके पते पर व्यक्तिगत संचार भेजा है, जिनके शेयर उक्त नियमों के तहत आईईपीएफ को हस्तांतरित किए जाने के लिए अधीन है। इस नोटिस के द्वारा सूचना दी जाती है कि जिन शेयरों पर लाभांश का दावा 7 वर्षों से नहीं किया गया है, अर्थात वर्ष 2015-16 से उन्हें IEPF में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है।

दावा न किए गए लाभांश और आईईपीएफ को हस्तांतरण के लिए देय शेयरों का विवरण भी कंपनी की वेबसाइट **www.shaktipumps.com** पर उपलब्ध है।

संबंधित शेयरधारकों से एतद् द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे 03 नवंबर, 2023 को या उससे पहले कंपनी को एक आवेदन करके अपनी लाभांश राशि का दावा करें। यदि उक्त तिथि को या उससे पहले कोई वैध दावा नहीं किया जाता है, तो कंपनी शेयरों को IEPF में हस्तांतरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी।

फिजिकल रूप में शेयर रखने वाले संबंधित शेयरधारक और जिनके शेयर आईईपीएफ में हस्तांतरण होने के लिए उत्तरदायी हैं, वे ध्यान दें कि कंपनी आईईपीएफ और कंपनी को शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा रखे गए मूल प्रमाण पत्र के बदले डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करेगी। डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र को डीमैट फॉर्म में बदलने और आईईपीएफ के पक्ष में हस्तांतरण के लिए कॉर्पोरेट एक्शन के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगा। इसके अलावा, मूल शेयर प्रमाण पत्र जो मूल शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत हैं जो आईईपीएफ को हस्तांतरित किया गया है एवं वह स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगा और गैर–परक्राम्य माना जाएगा। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले संबंधित शेयरधारक ध्यान दें कि कंपनी आईईपीएफ के डीमैट खाते के पक्ष में शेयरों के हस्तांतरण के लिए कॉर्पोरेट एक्शन के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

शेयरधारक ध्यान दें कि बेदावा लाभांश और शेयर दोनों जो आईईपीएफ खाते में हस्तांतरित किए है, इस तरह के शेयरों पर एकत्रित सभी लाभों सहित, यदि कोई हो, वे नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, आईईपीएफ प्राधिकरण से आईईपीएफ प्रपत्र 5 के द्वारा दावा कर सकते हैं **(www.iepf.gov.in)**। शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि ऐसे लाभांश और शेयर जो कि आईईपीफ खाते में हस्तांतरित किये गये हैं उससे संबंधित दावों के लिये कंपनी व रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट उत्तरदायी नहीं होंगे।

अगर शेयरधारकों का इस विषय और नियमों पर कोई भी सवाल है, तो वे कंपनी सचिव से कम्पनी के E-mail: **cs@shaktipumpsindia.com** या कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट **Adroit Corporate Services Pvt. Ltd.** 17-20, Jafferbhoy Industrial Estate, Marol Naka, Andheri (E), Mumbai 400059, India Tel. 022-42270400, E-mail: **info@adroitcorporate.com** पर संपर्क कर सकते हैं।

वास्ते : शक्ति पम्पस् (इंडिया) लिमिटेड
हस्ते/-
रवि पाटीदार
(कम्पनी सचिव)

दिनांक : 31.07.2023
स्थान : पीथमपुर

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
केंद्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै – 600 002

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक निम्नलिखित के लिए बोली लगाने हेतु आमंत्रित करता है:

गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल – संबद्ध हार्डवेयर के साथ X86 सर्वर की खरीद।

बोली संख्या: जीईएम/2023/बी/3746119 दिनांकित: 26.07.2023

उपर्युक्त निविदा के लिए जीईएम दस्तावेज उल्लिखित वेबसाइटों पर www.iob.in एवं www.gem.gov.in उपलब्ध है, जहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा का विवरण और भविष्य में किए जाने वाले किसी भी संशोधन के लिए, उक्त वेबसाइट www.gem.gov.in का संदर्भ लेते रहें।

कब्या सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **न्यू कंचन ज्वैलर्स, चंद्र कांत सोनी और अनीता सोनी** को **27.01.2022** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HLAPBHP00405696** की राशि **रू.22,63,910.54 /- (रुपए बाईस लाख तिरेसठ हजार नौ सौ दस और चौवन मात्र)** और **24.01.2022** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **(4)** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरिटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वियन करके **25.07.2023** को संपत्ति पर **आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतत्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 22,63,910.54 /- (रुपए बाईस लाख तिरेसठ हजार नौ सौ दस और चौवन मात्र) 24.01.2022** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

प्लॉट नं.-43 का मकान, मापित 720 स्के.फीट, वैध्यनाथ सिटी, गाँव रसालखेड़ी भानपुर, करोंद रोड, भोपाल-462001, मध्यप्रदेश

सीमाएं:
पूर्व : प्लॉट नं.53 **पश्चिम: कॉलोनी रोड**
उत्तर: प्लॉट नं.42 **दक्षिण: प्लॉट नं.44**

सही/-
दिनांक: 25.07.2023 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : भोपाल **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड**

कब्या सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (आइएचएफएल) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, **2002** के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **न्यू कंचन ज्वैलर्स, चंद्र कांत सोनी और अनीता सोनी** को **27.01.2022** की सूचना में वर्णन के अनुसार **आइएचएफएल** का कर्ज खाता नं. **HLAPBHP00405696** की राशि **रू.22,63,910.54 /- (रुपए बाईस लाख तिरेसठ हजार नौ सौ दस और चौवन मात्र)** और **24.01.2022** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी। इसके अलावा **आइसीसीएल ने** दिनांक **27.06.2023** के असाइनमेंट करार द्वारा **एसेट्स केअर एन्ड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड (एसीआरई)** के पक्ष में उपरोक्त कर्ज खाते के अपने सभी अधिकार, शिर्षक और ब्याज को सोंपा गया है और लोन खाता **एसीआरई** की बुक्स में लोन खाता नं. **HLAPBHP00405696** के रूप में पुन: क्रमांकित किया गया है।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा (4) के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वियन करके **25.07.2023** को संपत्ति पर **आधिपत्य कर** लिया है।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतत्द्वारा सम्पत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशि रू.22,63,910.54 /- (रुपए बाईस लाख तिरेसठ हजार नौ सौ दस और चौवन मात्र) 24.01.2022** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **एसेट्स केअर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

प्लॉट नं.-43 का मकान, मापित 720 स्के.फीट, वैध्यनाथ सिटी, गाँव रसालखेड़ी भानपुर, करोंद रोड, भोपाल-462001, मध्यप्रदेश

सीमाएं:
पूर्व : प्लॉट नं.53 **पश्चिम: कॉलोनी रोड**
उत्तर: प्लॉट नं.42 **दक्षिण: प्लॉट नं.44**

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 25.07.2023 **एसेट्स केअर एंड रिकंस्ट्रक्शन इंटरप्राइजेज लिमिटेड**
स्थान : भोपाल **(102- ट्रस्ट)**

IndiaShelter Home Loans

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट–15, 6वाँ तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा–122002
शाखा कार्यालयः प्लॉट नं. 69, तीसरा तल, एमपी नगर, जोन–1, भोपाल–462011

अचल संपत्ति के लिए भौतिक कब्जा सूचना

जबकि, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति (हित) प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर यहाँ यथाउल्लिखित खाते के लिए तारीख को मांग सूचना जारी की जिसमें कर्जदार और संपत्ति मालिक/जमानती भी, से सूचना में उल्लिखित राशि को उक्त सूचना की तारीख से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया। जबकि संपत्ति मालिक और अन्य के द्वारा राशि अदा न कर पाने पर एतद्द्वारा उल्लिखित कर्जदारों और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 व 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति/यों का प्रत्येक खाते के लिए उल्लिखित तारीखों को **भौतिक कब्जा** ले लिया है। अब, विशेष रूप से कर्जदार और सर्व जनों को सामान्य रूप में संपत्ति/यों से कोई भी लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति/यों के साथ कोई भी लेन–देन नीचे उल्लिखित राशि और इस पर ब्याज, लागतों आदि के लिए के लिए इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्जदार/जमानती (संपत्ति मालिक) का नाम और ऋण खाता संख्या	प्रभारित/बंधक संपत्ति (संपत्ति के समस्त भाग व खंड) का विवरण	मांग सूचना की तारीख, मांग सूचना की तारीख को देय राशि	भौतिक कब्जे की तारीख
1	सुनीता देवी, लव्या सिंह निवासीः फ्लैट नं. एफ–1, प्लॉट नं. 347 गोविंदधाम सर्व धर्म कालोनी, सेक्टर बी तहसील हुजूर, जिला भोपाल–462042 ऋण खाता संख्याः HL46LILONSOOOOO5O28942	संपत्ति फ्लैट नं. एफ–1, प्लॉट नं. 347, गोविंदधाम सर्वधर्म कालोनी, सेक्टर बी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश, संपत्ति का क्षेत्रफल 59.9225 वर्ग मीटर (64 वर्ग फुट) के सभी भाग व खंड। सीमाएँः– पूर्व– रोड, पश्चिम– प्लॉट नं. 348, उत्तर– फ्लैट नं. एफ–02, दक्षिणः खुला और फिर रोड	माँग सूचनाः 18–01–2022 रु. 17,11,541.71/– (रुपये सत्रह लाख ग्यारह हजार पाँच सौ इकतालीस और इकहत्तर पैसा मात्र) दिनांक 31.01.2022 को देय दिनांक 01.02.2022 से लागू आगे की ब्याज सहित	27.07.2023 (भौतिक कब्जा)

किसी पूछताछ के लिए कृपया संपर्क करें:– श्री आलोक शर्मा – 9826597104, सुश्री गीत जैन – 7489362570

स्थानः मध्य प्रदेश
दिनांकः 01.08.2023
(प्राधिकृत अधिकारी) हिते इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

Mahindra

महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लि. **कब्जा सूचना**

कॉरपोरेट कार्यालयः महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लि. साधना हाउस, दूसरी मंजिल, 570, पी.बी. मार्ग, वर्ली, मुम्बई 400018, भारत, दूरभाषः +91 22 66523500, फैक्सः + 91 22 24972741
क्षेत्रीय कार्यालयः पहली मंजिल, सिया हाइट्स, बगसेवनिया मार्केट, राजा भोज कॉम्पलेक्स के पीछे, प्लॉट नं. 11, तुलसी विहार कॉलोनी, बगमुगलिया, भोपाल (म.प्र.)-462043 (म.प्र.) दूरभाषः 0755-3065245
इंदौर का पताः 415, चौथी मंजिल, शेखर सेंट्रल एबी रोड, पलसिया स्क्वायर, इंदौर (म.प्र.)-452001

(अचल सम्पत्ति के लिए) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अधीन)

चूंकि, मैसर्स महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (जिसे यहां बाद में "एमआरएचएफएल" कहा गया है), पंजीकृत कार्यालय **भोपाल** में तथा शाखा कार्यालय **इंदौर** में, के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना जारी की थी, जिसमें संबंधित कर्जदारों (नाम तथा पता नीचे उल्लेखित है) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम चुकता करने को कहा गया था।

यहां ऊपर उल्लेखित कर्जदार द्वारा संबंधित रकम चुकता करने में विफल होने के कारण, एतद्द्वारा यहां ऊपर उल्लेखित कर्जदारों तथा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी ने यहां निम्नलिखित सम्पत्ति पर **भौतिक कब्जा** कर लिया है।

विशेष तौर पर कर्जदारों तथा आम तौर पर जनसाधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा संबंधित रकम के साथ उस पर ब्याज की रकम के लिए मैसर्स महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटीदाता का नाम	प्रत्याभूत सम्पत्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण	मांग सूचना की तारीख एवं रकम	भौतिक कब्जा की तारीख
1.	(एलसी नं.: 742070 इंदौर शाखा) लखन सिंह (कर्जदार) रामकन्या बाई (सह-कर्जदार)	प्लॉट नं. 208, पी.एच. नं. 83 (पुराना 36) ग्राम शिवानी तहसील एवं जिला इंदौर, मध्यप्रदेश। चौहद्दीः पूर्व मेंः तोला बा का प्लॉट, पश्चिम मेंः सामान्य सड़क, उत्तर मेंः सेवसिंह का प्लॉट, दक्षिणः बहादुर सिंह का प्लॉट	03-12-2020 रु. 977949/- (रुपये नौ लाख सतहत्तर हजार नौ सौ उनचास मात्र)	28-07-2023 भौतिक कब्जा

स्थानः इंदौर
तारीखः 01.08.2023
अधिकृत अधिकारी
महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

भोपाल संस्करण : बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा दैनिक भास्कर, प्लॉट नं. 10 व 11, सेक्टर बी, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल, म.प्र. 462023 से मुद्रित एवं सी/ओ अशोक कुमार जैन, शॉप नं. 1, पटेल मार्केट, संगम टॉकीज के समीप, भोपाल- 462001 से प्रकाशित
संपादक: कैलाश नौटियाल, आरएनआई नं. MPHHIN/2008/24325 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स - 033-22101599
सब्सक्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशनबिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013 ईमेल... subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं

Nisha performs Mass Shraman

Mahidpur: Nisha Lunawat of Lunawat Automation is performing Mass Shraman while performing Jain principles in memory of Acharya Devesh Divyanand and Sadhu Sadhvi Vrind. Under this, she is following a strict 30-day fasting schedule which would be completed on August 2.

PATWARI RECRUITMENT

HC TELLS GOVT: EITHER CANCEL OR GIVE JOBS

COURT GIVES 3 WEEKS SAYS GOVT CANNOT HOLD RECRUITMENT PROCESS FOR A LONGER PERIOD

OUR STAFF REPORTER
city.bhopal@fpj.co.in

The principal bench of Madhya Pradesh High Court in Jabalpur has given three weeks to the state government directing it to either cancel Patwari recruitment or restart the process. The government cannot hold recruitment process for a longer period, observed the court of Justice MS Bhatti

The court was hearing a petition of a candidate Prayagraj Dubey, a resident of Jabalpur, challenging the ban on the Patwari recruitment. The High Court in a notice to the State Government and MP Employees Selection Board seeking reply within three-week on the matter. The next hearing is scheduled for August 21.

Earlier, Chief Minister Shivraj Singh Chouhan had halted the appointments following alleged irregularities in the Patwari recruitment exam conducted by the Madhya Pradesh Staff Selection Board.

Advocate Aditya Sanghi, who appeared on behalf of petitioner, argued, "CM has no locus standi to stay the recruitment process. It is the Staff Selection Board which can do it. HC has given three weeks to the state government instructing either to cancel Patwari recruitment or start the process. Government cannot put it on hold for a longer time."

The advocate further told the court, "The Chief Minister has gone beyond his authority to stop the Patwari recruitment process. Only the Staff Selection Board has the authority to halt the recruitment process. CM has absolutely no right to take such a big decision because of any doubts. Patwari's examination was conducted with great difficulty, and Prayagraj (the petitioner) was hopeful that he would become Patwari but the recruitment was stopped."

He further said, "On July 13, CM stayed the recruitment process through a tweet. The petitioner is a general category student. And after coaching for many years, he appeared in the exam and got 88.86% marks. He was sure to get the appointment, but on the basis of suspicion that there was fraud in the Patwari recruitment exam in Gwalior, the CM took a unilateral decision to stop the recruitment process."

Cong MLA asks 5 questions on Patwari examinations

Congress MLA PC Sharma on Monday sought reply from the state government to five questions related to patwari recruitment scam. Sharma alleged that the one-member commission was not being allowed to function properly. He has asked whether commission was trying to save some accused and whether BJP leaders were behind the scam. He has also asked whether commission had issued preliminary report. If not, when will it be released.

1 LAKH JOBS PROMISED, 60K APPOINTED SO FAR

The challenge is to appoint 40,000 more in 15 days

OUR STAFF REPORTER
city.bhopal@fpj.co.in

Chief Minister Shivraj Singh Chouhan's promise on August 15, 2022 to recruit one lakh youths in a year is going to end.

The state government has, so far, recruited 60,000 people, and it has to appoint 40,000 more within 15 days, which is a big challenge.

On Monday, when Chouhan was handing over appointment letters to the youths recruited to excise, cooperative and labour departments, he said recruitment drive was going on.

The government is committed to recruit youths on efficiency, honesty and merit, Chouhan said, adding that all of them were appointed on the grounds of merit.

"All the government schemes will be carried out through you," the Chief Minister said.

According to reports, recruitment to 8,000 posts was stopped because of Patwari examination.

Besides, the results of examinations for some posts are yet to come.

Tribal card in posting, Mal Singh made Indore Commissioner to woo 5 districts

OUR STAFF REPORTER
city.bhopal@fpj.co.in

Tribal people have become the most important of all communities for the ruling party in Madhya Pradesh.

It was evident in the transfer of IAS officers late Sunday night. Mal Singh Bhaydiya was appointed divisional commissioner of Indore, since he comes of a tribal family. It has happened for the first time that an IAS officer, belonging to a tribal family, has been appointed commissioner of Indore division.

There are five districts – Dhar, Barwani, Khargone, Jhabua and Alirajpur – under Indore division. All these five districts are dominated by tribal people.

The government played tribal card through Singh who has been divisional commissioner for the third time in 22 months.

In 2021, Singh was appointed commissioner of Narmadapuram division. He became commissioner of Bhopal division last year. Now, he has been posted as commissioner of Indore. Singh has already held various posts in tribal areas in Malwa region. He has lot of influence among the tribal people in this area.

The directly recruited IAS officers are generally keen on becoming commissioner of Indore division.

Nevertheless, the government has counted on a promotee IAS officer because of the ensuing election.

RATHI REMOVED FOR ERRORS IN VOTERS' LIST IN 2018 MADE COLLECTOR AGAIN

Before the polls, the Election Commission may shift Tarun Rathi who has been appointed collector.

The commission removed Rathi before the assembly election in 2018, because some errors cropped up in the voters' list in Shivpuri district. In 2018, a by-election was held in Kolaras, Shivpuri.

The Congress made a complaint about irregularities in the voters' list during the by-poll. Rathi delayed so much in sending reports that he could not be removed before the polling.

The commission sent a report against Rathi. So, he was removed from Shivpuri just before the assembly election in 2018.

Rathi was also shifted from Damoh after a by-election. Congress leader JP Dhanopia said the officers, whom the Election Commission found guilty of committing errors in voters' list, were again appointed collectors, which was wrong.

Dhanopia said the party would soon make a complaint to the commission about it.

Poetry recitation held in memory of Premchand

MANDSAUR: A poetry recitation in memory of Munshi Premchand was organised by Akhil Bharatiya Sahitya Parishad of Mandsaur. The programme began under the chief hospitality of laughter fame Munna Battery, senior writer Gopal Bairagi and others. Nandkishore Rathore, Harish Dave, Ajay Dangi, Hariom Barsoliya, Vijay Agnihotri and other artistes also attended the programme.

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगोन (म.प्र.)
PH (07282) 232363 (O) (07282) 233601 (O) Fax (07282) 231668)
email- dmkhargone@nic.in
email- osrevkhr@mp.gov.in
क्रमांक/1547/वाचक-2/2023
प्रकरण क्रमांक/0044/
बी- 108(3)/2023-24
खरगोन, दिनांक 21/07/2023
प्रेस विज्ञप्ति

प्रति,
1. श्री. आयुष महेश्वरी पिता श्री नारायणजी महेश्वरी
2. श्री नारायण महेश्वरी, ओपिपल चौक 118, एम. जी. रोड, सनावद पीपल चौक के पास, सनावद, जिला खरगोन

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी पिरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फायनेंस लि. (पूर्व में दीवान हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड) 503-505, पाँचवीं मंजिल, ऐरन हाइट्स, स्कीम नं. 54, पीयू 3, प्लॉट नबर 13/14, विजय नगर इन्दौर द्वारा निवेदन किया गया कि बंधक संपत्ति भूखण्ड क्रमांक 32, अग्रसेन नगर कॉलोनी, पहनं. 102, वार्ड नं. 13, खसरा नं. 120/4, सनावद, जिला खरगोन जिसका कुल क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट जिसकी चतु:सीमा पूर्व में- भूखण्ड क्रमांक 01 की भूमि, पश्चिम में- कॉलोनी का रोड, उत्तर में भूखण्ड क्रमांक 33 की भूमि, दक्षिण में कॉलोनी का रोड है, पर बकाया ऋण राशि का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूत सम्पत्ति का कब्जा ही सौंपा गया है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूति के रूप में रखी सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अतः इस संबंध में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई / जवाब हेतु न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगोन में दिनांक 09.08.2023 को दोपहर 2:00 बजे होगी । आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसमें आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अपर जिला दण्डाधिकारी
जिला खरगोन (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगोन (म.प्र.)
PH (07282) 232363 (O) (07282) 233601 (O) Fax (07282) 231668)
email- dmkhargone@nic.in
email- osrevkhr@mp.gov.in
क्रमांक/1549/वाचक-2/2023
प्रकरण क्रमांक/0054/
बी- 108(3)/2023-24
खरगोन, दिनांक 21/07/2023
प्रेस विज्ञप्ति

प्रति,
1. जाकिर हुसैन पठान पिता पीर मोहम्मद पठान, 10, आजाद मार्ग मस्जिद मोहल्ला कसरावद जिला खरगोन
2. श्री रेहान पठान, निवासी गाड़ी खाना गाडी मुडी ऑफिस के पास, मंडलेश्वर जिला खरगोन

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी पिरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फायनेंस लि. (पूर्व में दीवान हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड) 503-505 पाँचवीं मंज़िल एरन हाइट्स, स्कीम नं. 54, पीयू- 3, प्लॉट नंबर 13/14, विजय नगर इन्दौर द्वारा निवेदन किया गया कि बंधक संपत्ति भूखण्ड एवं उस निर्मित भवन- मकान नंबर 10, आजाद मार्ग मस्जिद मोहल्ला कसरावद, जिला खरगोन जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्गफीट। जिसकी चतु:सीमा पूर्व में रेहमान रमजान का मकान, पश्चिम में नगर में आने जाने का आम रास्ता, उत्तर में मोहम्मद युसुफ का मकान, दक्षिण में भुरेखा मास्टर सा, का मकान है। पर बकाया ऋण राशि का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूत सम्पत्ति का कब्ज़ा ही सौंपा गया है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूति के रूप में रखी सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अतः इस संबंध में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई/ जवाब हेतु न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगोन में दिनांक 03.08.2023 को दोपहर 2:00 बजे होगी आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज़ व साक्ष्य सहित उपस्थित रहें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसमे आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अपर जिला दण्डाधिकारी
जिला खरगोन (म.प्र.)

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगोन (म.प्र.)
PH (07282) 232363 (O) (07282) 233601 (O) Fax (07282) 231668)
email- osrevkhr@mp.gov.in
क्रमांक/1543/वाचक-2/2023
प्रकरण क्रमांक/ 0046/
बी- 108(3)/2023-24
खरगोन, दिनांक 21/07/2023
प्रेस विज्ञप्ति

प्रति,
1. श्री जितेन्द्र खेडे पिता श्री परसराम खेडे (ऋणी), पता ई.डब्ल्यूएस. मकान नं. 46, पहनं. 27, गांधी नगर होमगार्ड ऑफिस के पीछे, खरगोन
2. श्री परसराम खेडे (सह ऋणी)
पता :- 3 / के शास्त्री नगर, बिस्टान रोड, खरगोन

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी पिरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फायनेंस लि. (पूर्व में दीवान हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड) 503 - 505 पाँचवी मंजिल एरन हाइट्स, स्कीम नं. 54, पीयू-3, प्लॉट नंबर 13 / 14, विजय नगर इन्दौर द्वारा निवेदन किया गया कि बंधक संपत्ति भूखण्ड एवं उस निर्मित भवन- ई.डब्ल्यूएस. मकान नं. 46, पहनं. 43, (नगर पालिका की आवासीय योजना) गांधी नगर, होमगार्ड ऑफिस के पीछे खरगोन जिसका कुल क्षेत्रफल 450 वर्गफीट जिसकी चतु:सीमा पूर्व में भवन कमांक 67, पश्चिम में कॉलोनी का रोड, उत्तर में भवन कमांक 47, दक्षिण में भवन कमांक 45 है, पर बकाया ऋण राशि का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूत सम्पत्ति का कब्जा ही सौंपा गया है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पनर्गठन और प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूति के रूप में रखी सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अतः इस संबंध में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई/जवाब हेतु न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगोन में दिनांक 10.08.2023 को दोपहर 2:00 बजे होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसमें आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अपर जिला दण्डाधिकारी
जिला खरगोन (म.प्र.)

National symposium organised by Vishisht School of Management

OUR STAFF REPORTER
Indore

Vishisht School of Management Indore organised a National Symposium on the topic 'Remapping of Commerce and Management Education in NEP 2020'. All the speakers were Indian Commerce Association (ICA) policy makers.

Executive vice president of ICA from Bangalore University Prof M Jayappa, dean faculty of commerce and director at department of applied economics from Patna University and joint secretary of ICA Prof NK Jha, principal of KPB Hinduja College Mumbai and past president of ICA Prof TA Shiware, past president of ICA Prof Ramesh Mangal, past president of ICA from Hyderabad Prof P Purushotam Rao, KPB Hinduja College Mumbai and secretary of ICA Dr Kuldip Sharma, managing director of Vishisht School of Management, Naveen Yograj and director S M Anas Iqbal were the guest speakers.

Many academicians and principals from Indore have attended this programme.

Naveen Yograj welcomed all the dignitaries, highlighted the importance of NEP 2020 and said that we have to diversify education in digital education in case of traditional classes.

Prof NK Jha said that we have to focus on giving vocational and technical education to students. He also stressed on diversifying commerce and management education in NEP 2020 and its various core specialisations to achieve goals of employability and entrepreneurship.

Dr Kuldip Sharma said that we have to focus on a multidisciplinary education system by replacing rote learning.

Prof M Jayappa said that we have to make learning interactive, engaging, and motivating. As a part of education we have to evaluate student's skills and abilities which help them to choose their subjects.

Prof P Purushotam Rao said that teachers have to bring modern teaching methods while teaching and create a fair environment in their organization.

Prof TA Shiware shares his experience working in ICA and he talks about

Cong appoints 29 poll observers for 230 assembly seats

OUR STAFF REPORTER
city.bhopal@fpj.co.in

The AICC has appointed 29 election observers on the basis of Lok Sabha constituencies for the 230 Madhya Pradesh Assembly seats, on Monday . The 29 observers will execute Congress election strategies to win the assembly election.

Dr Naresh Kumar has been given the charge of Balaghat, Vasant Purke to hold the responsibility of Betul, Pradeep Tamta of Bhind, Dr Anees Ahmed of Chhindwara, MLA Rakibuddin Ahmed who is also husband of Congress leader Noori Khan to hold the charge of Bhopal LS constituency.

Kamal Kant Sharma handed over responsibility of Damoh, MLA Kirit Patel of Dewas, MLA Tushar Chaudhary of Dhar, MLA Dinesh Thakur Guna, Prakash Joshi of Gwalior, Bimal Shah to hold the charge of Narmadapuram (Hosangabad), Mohan Joshi given the responsibility of Indore, Paresh Dhanani of Jabalpur, Virajibhai Thummar Khajuraho, Punjabbhai Vansh Khandwa, Anand Choudhary Khargone, member of parliament Naranbhai Rathwa Mandla, Alkaben Kahatriya Mandsour, Anil Bharadwaj Morena, Gulab Singh Rajgarh, Prabhaben Taviyad Ratlam, Indrajeet Singh Sinha Rewa.

Rajendra Thakur Sagar, Lalit Khagtra Satna, Punabhai Gamit Shahdol, Kumar Sshish Sidhi, Rajendra Singh Parmar Tikamgarh, Chakravarty Sharma Ujjain and Rajesh Sharma Vidisha.

YES BANK LIMITED
Branch Office: Ward No.8, RM Tower Municipal No.269, Gorakunj Chorayaa, Near Rajwada, Mahatma Gandhi Road, Indore, M.P. - 452001

POSSESSION NOTICE (U/s. Rule 8 (1) - for immovable property)

The undersigned being the Authorized Officer of **YES Bank Ltd.** under the provisions of the Securitization and Reconstruction of Financials Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 and in exercise of powers conferred under Sec.13(12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notices calling upon the respective borrowers mentioned hereunder to repay the amounts mentioned in the respective notices U/s.13(2) of the said Act within a period of 60 days.

The respective borrowers having failed to repay the said amounts, notice is hereby given to the borrowers and public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on me under Sec.13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said Rules.

The respective borrowers in particular and public in general are hereby cautioned not to deal with the said properties and any dealing with these properties will be subject to the charge of the **YES Bank Ltd.** for the respective amount mentioned herein below along with interest thereon at contracted rate.

Sr. No.	Name of Borrower/ Co-Borrower & Mortgagor	Loan A/c. No. & Cust ID	Particulars of Immovable Properties mortgaged	Notice Amount (Rs.)	Demand Notice Dt. / Date of Re-possession
1	Amit Kumar Tripathi	AFH004000922109	Plot No P-97, Chinar Park, Phase-II, Gram Mhowgaon, Tehsil Mhow, Dist. Indore (M.P.)	₹ 14,93,900.95/-	19-05-2022 / 26-07-2023
2	Monu Kumar Chhokar	AFH004000634388	CM-II/604, Pt. Dindayal Upadhyay Nagar, Sukhliya, Dist. Indore (M.P.)	₹ 10,18,677.29/-	19-05-2022 / 26-07-2023

s contemplated U/s.13(8) of the Act, in case our dues together with all costs, charges and expenses incurred by us are tendered at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by us, and no further step shall be taken by us for transfer or sale of that secured asset

Sd/-
Authorized Officer
YES Bank Ltd.

Date : 26.07.2023
Place : Indore

PUBLIC NOTICE

ICICI Bank
Branch Office: ICICI Bank Ltd., Office Number 201-B, 2nd Floor, Road No 1 Plot No–B3, WIFI IT Park, Wagle Industrial Estate, Thane, Maharashtra- 400604

The following borrower/s have defaulted in the repayment of principal and interest of the loans facility obtained by them from the Bank and the loans have been classified as Non-Performing Assets (NPA). A notice was issued to them under Section 13 (2) of Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act-2002 on their last known addresses, however it was not served and hence they are hereby notified by way of this public notice.

Sr. No.	Name of the Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor/ (Loan Account Number) & Address	Property Address of Secured Asset/ Asset to be Enforced	Date of Notice Sent/ Outstanding as on Date of Notice	NPA Date
1.	M/s. Shree Mahaveer Traders Represented by its Proprietor Mr. Lokesh Jain/ Mr. Lokesh Jain/ Mrs. Rinki Lokesh Jain/ Mrs. Pushpabai Rameshchand Dewda alias Mrs. Pushpabai Rameshchand Jain/ 282205002868/ Gram Indokh Road, Jharda, Tehsil Mahidpur, Madhya Pradesh	Patvari Halka No. 26, Survey No. 593, Chopat to Chopdaji Ram Mandir, Village Zharda, Indok Road, Tehsil Mahidpur, District Ujjain Madhya Pradesh	July 05, 2023 Rs. 16,69,634.11/-	06-12-2022
2.	M/s. Shree Ganesh Building Material Represented By Proprietor Janki Yadav/ Mrs. Janki Yadav/ Mr. Chandra Prakash Yadav/ 075905500345/ 075955000001/ W/o. Late Mr. Shyamlal Yadav Office No.03, Shivaji Park, Dewas- 455001	Residential Plot No. D & Constructed House No. 03 Paiki (Old No. 01), Bhopal Road, Between Bhopal Chouraha to Vishwas Hotel, Dewas, Sr. Dewas, Madhya Pradesh	July 04, 2023 Rs. 21,83,672.02/-	16-04-2023
3.	M/s. Shri Ji Trading Company Represented by its Proprietor Mr. Balram Agrawal S/o. of Mr. Rajendra, Mr. Balram Agrawal S/o. of Mr. Rajendra, Mrs. Sandhya Ayush Agarwal- Legal Hier of Mr. Ayush Rajendra Kumar Bansal, Mrs. Santoshi Agrawal & Mr. Rajendra Agrawal S/O. of Mr. Ramchandra Ji- 01, Nim Ke Ped ke Pas, Basud Mohalla, Kannod, Dewas, Madhya Pradesh, Dewas- 455332/ 257705500203	Shop No.02, Mahatma Gandhi Marg, Ward Kramank 01, Nagar Panchyat Kannod, Kasba Kannod, Tehsil Kannod, District Dewas, Madhya Pradesh	July 12, 2023 Rs. 43,36, 391.72/-	17-04-2023

The steps are being taken for substituted service of notice. The above borrower/s and/or their guarantors (as applicable) are advised to make the payments of outstanding within period of 60 days from the date of publication of this notice else further steps will be taken as per the provisions of Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Date: August 01, 2023
Place: Ujjain & Dewas

Authorized Officer
ICICI Bank Limited

SHAKTI
PUMPING LIFE

SHAKTI PUMPS (INDIA) LTD.
CIN : L29120MP1995PLC009327
Regd. Off.: Plot No. 401, 402 & 413, Sector-III, Industrial Area, Pithampur Dist. Dhar (M.P.)-454774, Phone : 07292-410500, Fax: 07292-410645
Email : cs@shaktipumpsindia.com, Website: www.shaktipumps.com

NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS

Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account

Notice is hereby given that pursuant to the provision of Section 124 of the Companies Act 2013 ("the Act") read with the Investors Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the Rules) as amended from time to time, the Company is mandatorily required to transfer the Equity Shares of the Company on which dividend entitlements have remained unclaimed or unpaid for seven consecutive years or more to the Investor Education and Protection Fund (IEPF), a fund constituted by the Government of India under Section 124(6) of the Companies Act, 2013.

The Company has sent individual communication to the concerned shareholders at their address registered with the Company whose shares are liable to be transferred to IEPF under the said Rules. By this notice intimation is given that the shares on which dividends have not been claimed for 7 years i.e. since the year 2015-16, are proposed to be transferred to IEPF.

The relevant details of unclaimed dividend and shares due for transfer to IEPF have also been uploaded under Investor Relations section on the Company's website: **www.shaktipumps.com.**

The concerned shareholders are hereby requested to claim their dividend amounts by making an application **on or before 03rd November, 2023** to the Company. In case, no valid claim is made on or before the said date, the Company will be compelled to take required action for transfer of the shares to the IEPF.

Concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate in lieu of the original certificate held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificate into demat form and transfer in favour of IEPF. Further that the original share certificate which is registered in the name of original shareholders and Transferred to the IEPF will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the demat account of the IEPF.

In case, the concerned shareholders wish to claim the shares after transfer to IEPF, a separate application has to be made to the IEPF Authority in Form IEPF-5, as prescribed under the Rules and the same is available at IEPF Website **(www.iepf.gov.in)**. **Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed Dividend amount & Shares transferred to IEPF Authority pursuant to said rules.**

For any information / clarification on this matter, concerned shareholders may write to the Company at **cs@shaktipumpsindia.com** or contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent **Adroit Corporate Services Pvt. Ltd.,** 17-20, Jafferbhoy Ind. Estate, Marol Naka, Andheri (E), Mumbai 400059, India Tel. 022-42270400, Email: **info@adroitcorporate.com**.

for **Shakti Pumps (India) Limited**
Sd/-
Ravi Patidar
Company Secretary

Date: **31.07.2023**
Place: **Pithampur**

SATYA SHYAM TRADING LTD.
CIN : L51102MP1984PLC002664
Regd. Office : 110, Siyaganj, INDORE-452 007 (M.P.)
Ph. 0731-2533410, 2533602, E-mail : shyamsaty@rediffmail.com
Website : www.satyashyam.com

Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2023
(₹ in Lacs except per share data)

S. No.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2023 Unaudited	Quarter Ended 31.03.2023 Audited	Quarter Ended 30.06.2022 Unaudited	Year Ended 31.03.2023 Audited
1	**Revenue From Operations**				
	Revenue from sale of product	958.29	999.57	755.51	4028.25
	Other Income	1.93	2.17	1.74	8.21
	Total Income	960.22	1001.74	757.25	4036.46
2	**Expenses**				
	Purchase of Stock-in-trade	991.27	325.90	790.79	3768.12
	Changes in Inventories of Stock-in-Trade	-86.44	450.02	-83.47	-75.17
	Employee Benefit Expenses	6.50	49.21	5.52	62.71
	Finance Cost	4.59	7.78	4.43	17.95
	Depreciation, amortization & impairment	2.14	5.45	1.20	9.06
	Other Expenses	18.27	165.80	17.21	210.48
	Total Expenses	936.33	1004.17	735.68	3993.16
3	**Profit / (Loss) Before Tax and Exceptional Items**	23.89	-2.43	21.57	43.30
4	Exceptional Items	0.00	0.00	0.00	0.00
5	**Profit / (Loss) Before Tax**	23.89	-2.43	21.57	43.30
6	**Tax Expenses:**				
	Current Tax	0.00	10.00	0.00	22.00
	Deferred Tax	0.00	-10.07	0.00	-9.61
	Taxation for earlier years	0.00	3.24	0.00	3.42
	Total Tax Expense	0.00	3.17	0.00	15.82
7	**Profit / (Loss) for the period from Continuing Operation**	23.89	-5.61	21.57	27.48
8	Profit / (Loss) for the period from Discontinuing Operation	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Tax expenses from discontinuing operation	0.00	0.00	0.00	0.00
10	**Profit / (Loss) for the period from Discontinuing Operations**	0.00	0.00	0.00	0.00
11	**Profit / (Loss) for the period**	23.89	-5.61	21.57	27.48
12	**Other Comprehensive Income / (Loss)**				
	A (i) Items that will not be reclassified to profit or loss	4.35	-1.55	-2.60	1.56
	(ii) Income Tax relating to items that will not be reclassified to profit & loss	0.00	1.28	0.00	1.28
	B (i) Items that will be reclassified to profit or loss	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) Income Tax relating to items that will be reclassified to profit & loss	0.00	0.00	0.00	0.00
	Other Comprehensive Income / (Loss) for the period / year net of tax	4.35	-0.27	-2.60	2.84
13	**Total Comprehensive Income for the Period**	28.24	-5.88	18.97	30.32
	Paid-up Equity	318.81	318.81	318.81	318.81
	Reserve Excluding Revaluation Reserves	576.81	552.92	547.01	552.92
	Basic & Diluted EPS	0.75	-0.18	0.68	0.86

NOTES: (1) The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at their meetings held on 31.07.2023 respectively. The statutory auditors of the Company have carried out a limited review of the aforesaid results, for the quarter ended 30 June, 2023. **(2)** The above financial results are prepared in compliance with Indian Accounting Standards ("IND-AS") as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") [Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015] as amended and accordingly these financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principals laid down in the IND AS 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued there under. **(3)** The company is engaged primarily in the business of Tea trading and accordingly there are no separate reportable segments. **(4)** The figures for the quarter ended 31st March 2023 are the balancing figure between audited figures in respect of full financial year and the limited reviewed published year to date figures up to the third quarter of the financial year ended 31st March, 2023. **(5)** The provision for income tax, will be considered at the year end. **(6)** The figures for the previous quarter / year have been regrouped / rearranged wherever necessary to confirm to the current year presentation.

By order of the Board
For **Satya Shyam Trading Limited**
Sd/-
S.P. Agarwal (Managing Director)
DIN: 00545387

Date : **31.07.2023**
Place : **INDORE**